परिवार नियोजन (Birth Controle)

बच्चों के जन्म पर रोक लगाने से सम्बन्धित मामलों पर पहले फ़िक्ही सेमिनार में 1-3 अप्रैल 1989 ई0 को दिल्ली में ग़ौर किया गया। निम्न सिद्वांतों की घोषणा की गयी।

1- कोई भी ऐसा काम जिसका मक़सद इंसानी नस्ल के सिलसिले को रोकना या सीमित करना हो, इस्लाम की मौलिक शिक्षाओं के ख़िलाफ़ है और नाजाइज़ है।

2- फ़ैशन के तौर पर परिवार को सीमित रखना, या नौकरी व कारोबार की गतिविधियां प्रभावित होने के अंदेशे से या सामाजिक गतिविधियों में रुकावट होने की वजह से औलाद की ज़िम्मेदारी से बचना और औलाद की पैदाइश पर रोक लगाना इस्लामी शरीअत में मान्य नहीं है।

3- जो महिलाऐं अपने जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा धन-दौलत जमा करने की चाह में नौकरियाँ करना चाहती हैं वे अपने पैदाइशी मक़सद और उस पवित्र कर्तव्य को भूल जाती हैं। जो क़ुदरत ने इनसानी नस्ल की माँ की हैसियत से उनपर लागू किया है उन उद्देश्यों की ख़ातिर ख़ानदान को सीमित करने की कल्पना पूर्ण रूप से ग़ैर-इस्लामी है।

4- औरत की गोद में बच्चा मौजूद हो तो उसके पालन पोषण में अगर मां के गर्भवती होने की वजह से नुक़सान होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में उचित अन्तराल (वक़्फ़ा) रखने के लिए अस्थाई रूप से गर्भ-निरोधक उपाय करना जाइज़ है।

5- गर्भधारण को रोकने के लिए कोई स्थायी उपाय मर्दों के लिए किसी भी रूप में जाइज़ नहीं है। औरतों के लिए भी स्थायी उपाय आम हालात में मना हैं, लेकिन विश्वसनीय चिकित्सकों की राय में औरत के गर्भवती होने से उसकी जान जाने का या कोई अंग ख़राब हो जाने की आशंका हो तो औरत का स्थायी आपरेशन कराया जा सकता है।

6- आम हालात में अस्थायी उपाय करना भी जायज़ नहीं है।

7- जिन स्थितियों में मर्दों या औरतों के लिए गर्भ रोकने के अस्थायी उपाय जायज़ हैं वह निम्न हैं:

(अ) औरत बहुत कमज़ोर हो और विश्वसनीय डाक्टर की राय में वह गर्भ धारण करने की स्थिति में नहीं हो, गर्भवती हो जाने से उसे नुक़सान पहुंचने का ख़तरा हो।

(ब) विशेषज्ञ डाक्टरों की राय में पैदाइश के समय औरत को इतनी तकलीफ़ होने की आशंका हो जिसे वह बर्दाशत न कर सके और उसे नुक़सान पहुंचने का अंदेशा हो।

☆☆☆